(18)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page no. : 261-267

Dated 12-2-2000

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2000

सा.का.नि. 52—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में उप निदेशक (राजभाषा) के समूह "क" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय) उपनिदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :—

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उपनिदेशक (राजभाषा)	06* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा सहायक निदेशक (राजभाषा) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पणी :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/

पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में, प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

प्रतिनियुक्ति :—

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी —

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 8000-13500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 6500-10500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य; और

(ii) हिन्दी में शब्दावली कार्य का और/या अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच

12
वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी। या हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव। (पोषक प्रवर्ग, के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. अध्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड—सदस्य 3. सदस्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (जो अध्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा) —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/2/98-प्रशा.-II-बी]

के. गाभी, अवर सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st February, 2000

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' post of Deputy Director (Official Language) in Attached and Subordinate Offices under the Central Board of Excise and Customs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.—The method of recruitment, age

limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority, or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Director (Official Language)	06* (2000) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200	Selection-cum-seniority	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees	Promotion failing which by deputation.

In the case of recruitment by promotion/deputation/absorption/grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Assistant Director (Official Language) with eight years' regular service in the grade. Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation : Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent; or (iii) with eight years' regular service in posts in scale of Rs. 6500-10500 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Master's degree from a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as subject at degree level. OR Master's degree from a recognised University in any subject with Hindi	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman. 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs—Member 3. Member, Central Board of Excise and Customs (to be nominated by the Chairman, Central Board of Excise and Customs)—Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

12	13	14
medium and English as a subject at the degree level. OR Master's degree from a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at degree level. (ii) Five years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice versa preferably of Technical or Scientific Literature. OR Five years' experience of Teaching, Research, Writing or Journalism in Hindi. (The Deartmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deutationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)		

[F. No. A.12018/2/98-Ad.II-B]
K. MAJHI, Under Secy.

MGIPRRND—331 Fin./2000—II-Day—19-2-2000—200